बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक............................/पटना दिनांक........................
04/लेखा सह॰(केन्द्रांश)–44/2024

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰एवं हक)
बिहार पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र प्रायोजित योजना "Computerization of offices of Registrar, Cooperative Societies" के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में कुल रू॰ 52,41,000/–(बावन लाख एकतालीस हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृति आदेश ज्ञापांक–451,दिनांक–15.02.2024 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "Computerization of offices of Registrar, Cooperative Societies" के क्रियान्वयन हेतु दी गई स्वीकृति के आलोक में योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु केन्द्रांश मद में उपबंधित राशि रू॰ 1,50,00,000/–(एक करोड़ पचास लाख) मात्र में से सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–M-13033/13/2025-MoC(122683) दिनांक–07.03.2025 के विमुक्त राशि रू॰ 52,41,000/–(बावन लाख एकतालीस हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग सं॰–09 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष –2425 सहकारिता उप मुख्य शीर्ष –00–लघु शीर्ष –001 निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष –0202 निबंधक सहयोग समितियाँ के कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्पोनेन्ड) विपत्र कोड़–09–2425000010202 विस्तृत शीर्ष –52 मशीनें एवं उपस्कर इत्यादि विषय शीर्ष–01–मशीनें एवं उपस्कर –कार्यालय से विकलनीय होगी।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस योजना के नोडल पदाधिकारी सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना होगें, जहाँ PFMS पद्धति से स्वीकृत राशि की निकासी कर भारतीय स्टेट बैंक, विश्वैश्वरैया भवन, बेली रोड़ पटना में योजना के कार्य संचालन हेतु संधारित SNA Account No-42723001182 IFSC Code-SBIN0006379, BranchCode-6379 के माध्यम से योजना के सक्षम प्राधिकार के अनुमति/स्वीकृति से राशि का व्ययन करेगें।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या–9582, दिनांक–30.11.2022 द्वारा पैक्स कम्प्यूटीकरण योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (SLMIC) इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सक्षम पदाधिकारी होगें साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण पैक्स कम्प्यूट्रीकरण योजना हेतु गठित NLMIC द्वारा किया जायेगा।

5. योजना के क्रियान्वयन से संबंधित निर्गत विभागीय स्वीकृति आदेश ज्ञापांक–451, दिनांक–15.02.2024 द्वारा परिचालित दिशा–निर्देश मान्य होगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार जी॰एस॰टी॰ आयकर कटौती की जायेगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक– 4989/वि(2) दिनांक–16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यो का अनुपालन करेगें। साथ ही साथ राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

8. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का होगा ।

9. इस स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग की सहमति पृष्ठ संख्या 20/टि॰ ,पर दिनांक–20.03.2025 को प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत्यादेश में सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन पृष्ठ संख्या–.20 /टि0 पर दिनांक–21.03.2025.. को प्राप्त है।

ह॰/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 569 **/पटना, दिनांक** 21/03/2025
04/लेखा सह॰(केन्द्रांश)–44/2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना / सचिव, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार, पटना /अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा–03/ आई॰टी॰मैनेजर, सहकारिता विभाग।
3. केन्द्रीय निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

21.03.25

सरकार के अपर सचिव।